



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2026

विषय:- ई0पी0सी0 मोड पर जनपद आगरा में 150 शैय्या लेडी लॉयल जिला महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-32/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 08.04.2025 एवं पत्र संख्या-1167/17फ/नि0नि0अ0/2024-25, दिनांक 21.03.2025 तथा शासन के पत्र संख्या-5-6099/246/2024-आई/912075/2025-6, दिनांक 20.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 08-04-2025 एवं 21.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में ई0पी0सी0 मोड पर जनपद आगरा में 150 शैय्या लेडी लॉयल जिला महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रुपये 9381.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रुपये 3283.37 लाख (बत्तीस करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं शासन के पत्र संख्या-5-6099/246/2024-आई/912075/2025-6, दिनांक 20.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की होगी।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य /मद हेतु किया जायेगा।
 7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
 8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर /बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
 9. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
 10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना /स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
 12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
 13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
 14. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर को पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 15. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
 16. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 17. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,83,37,000 (रुपये बत्तीस करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210011104200 जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-17/दस-2025-26 दिनांक-04-02-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 30प्र0, लखनऊ।
7. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल) ई0पी0सी0 मिशन नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन, योजना भवन, लखनऊ।
10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव